[illegible]

[illegible] परीक्षण हेतु [illegible] बासड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तहसीलदार खण्डेला को प्राप्त विरासत प्रमाण का अवलोकन किया गया एवं तथा वहीन वादी पर उपस्थित मन्नाराम एवं [illegible] वादी के समक्ष पेश किया गया। वादी के समक्ष पेश आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में पिता का नाम मन्नाराम ही दर्ज है। शपथ बासड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार खण्डेला को प्राप्त लिखित जवाब में भी उक्त दुरूस्ती हेतु अभिलेख की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम बासड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 86 के राजस्व रिकार्ड में वादी की मृतक माता के नाम दर्ज $\frac{1}{3}$ हिस्से की खातेदारी में वादी के मृतक पिता का बोलता नाम "सुरजी पत्नी धन्ना" के स्थान पर वास्तविक, सही व सम्मानजनक नाम "सुरजी पत्नी मन्नाराम" दुरूस्त किया जाता है। उसकुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। फरवली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned with CamScanner